रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियत्रक का कार्यालय माखुपरा औदयोगिक क्षेत्र, अजमेर-305002

ई मेल-: ro.ajmer@ibm.gov.in No RAJ/Jpr-21/FE- 3

Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines Office of the Regional Controller of Mines. Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002 Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

Date- 03/04/2018

प्रेषित Sh. Madhup Joshi,

> Resident of B-242, Circular Road, Nehru Nagar, Jaipur, Rajasthan

विषय: राजस्थान राज्य के Jaipur जिले में स्थित आपकी Bagawas Iron Ore खान 4.99 हैक्टे मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 30RAJ13009)

महोदय.

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18.1.2018 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं। उल्लंघन के प्रकार का विस्तत ब्यौरा

The excess production has been made in the mine to the proposals made in 11(1) approved mining plan as under:

year	Proposed	Actual	Excess	Remaks
2014-15	47880 T	53890 T	6010 T	
2015-16	70140 T	79503 T	9363 T	

Every holder of mining lease shall monitor his mining & allied activities as per 35(2) the notified Template of star rating in the format prescribed in this behalf by the Indian Bureau of Mines from time to time and shall submit online its self assessment report before 1st day of July every year for the previous financial year along with the soft copy (in the standard format) of High resolution satellite images obtained from Cartosat- 2 satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map as on the 31st March of that financial year covering the mining lease and an area of two kilometers from the lease boundary, to the regional controller or the authorized officer of the Indian Bureau of Mines. But it has been observed that you have not submitted the same till date.

The annual return of the mine, which shall be submitted online before 1st July of 45(5)(C) 2017 for the financial year 2016-17 had not been submitted online.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली. 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

- आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(एच.सी.शर्मा) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर । (ई–मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 रक्षित पत्रावली।